(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा(आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 15 / 2024

पंजीकरण संख्या :– 2024 / 136

बउनवान

श्री कुमार मनोज वैद निवासी 220, शास्त्री नगर, दादाबाड़ी जिला कोटा (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 30.08.2024

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.06.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी कि ऑनलाइन करते समय ऑनलाइन नक्शा यदि किसी खेत का बंटवारा आदेश से भिन्न है, मेल नहीं खाता है तो उसको बंटवारा आदेशानुसार करने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए? आप द्वारा अपीलार्थी को तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 07.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 1030–1031 दिनांक 12.08.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1030–1031 दिनांक 12.08.2024 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3429–3430 दिनांक 30.08.2024 से जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी को भी प्रतिलिपि भिजवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:23:59 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल से सूचना चाही गई थी कि ऑनलाइन करते समय ऑनलाइन नक्शा यदि किसी खेत का बंटवारा आदेश से भिन्न है, मेल नहीं खाता है तो उसको बंटवारा आदेशानुसार करने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए? लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 3429–3430 दिनांक 30.08.2024 से अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नागत है। आरटीआई के प्रावधानों के तहत प्रश्नागत सूचना का जवाब दिए जाने का प्रावधान नहीं है तथा चाही गई सूचना से संबंधित रिकार्ड संधारित नहीं होने से नकल दिया जाना संभव नहीं है, फिर भी अपीलार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्रांक : भू.अ. / 2024 / 2778 दिनांक 19.07.2024 से अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रश्नवाचक सूचना चाही गई है, इस प्रकार की सूचना कार्यालय में संधारित नहीं की जाती है। प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के परिपत्र क्रमांक–प.22(16)प्रसु/सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 के अनुसार प्रश्नागत सूचना का जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/2778 दिनांक 19.07.2024 से अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में नियत समयावधि अंदर 01 माह सूचित कर दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का जवाब भी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार मांगरोल द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/3429–3430 दिनांक 30.08.2024 से इस कार्यालय को भिजवाया गया है जिसकी प्रति भी अपीलार्थी को दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **30.08.2024** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2024.09.05 12:23:59 IST
Reason: SelfAttested